



भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

भाविप्रा के निगमित सामाजिक दायित्व के लिए एन जी ओ/ गैर-लाभ संगठन / बाहरी विशेषज्ञ एजेंसी के चयन हेतु दिशा-निर्देश

1. पृष्ठभूमि

1.1 भाविप्रा की सीएसआर नीति के पैरा 4.1 (एफ) में कहा गया है : सीएसआर के लिए आवश्यक साझेदारी बनाने के लिए, गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ), सामुदायिक आधारित संगठनों (सीबीओ), तकनीकी सहायता संगठनों, सार्वजनिक प्रतिनिधियों और मत निर्माताओं, अन्य सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (पीएसयू), निजी क्षेत्र सहित स्थानीय, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर हितधारकों की एक श्रृंखला के साथ और संबंधित सरकारी विभाग।

1.2 भाविप्रा की सीएसआर नीति के पैरा 9.1 में कहा गया है : सीपीएसई के लिए कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पर दिशानिर्देश अन्यथा प्रदान करते हैं कि सीएसआर गतिविधियां विशेषज्ञ एजेंसियों द्वारा की जाएंगी जिनमें एनजीओ, संस्थान, अकादमिक संगठन, सिविल सोसायटी / सामुदायिक आधारित संगठन, ट्रस्ट, मिशन इत्यादि शामिल हैं जिनके पास आवश्यक विशेषज्ञता है।

1.3 सीएसआर पर सार्वजनिक उद्यम विभाग दिशानिर्देश निम्नानुसार हैं:

क) सीएसआर के तहत पहचाने जाने वाली परियोजना गतिविधियां विशेष एजेंसियों द्वारा लागू की जानी चाहिए तथा आमतौर पर संबंधित सीपीएसई के कर्मचारियों द्वारा नहीं (पैरा 3.2)। *ऐसी विशेष एजेंसियों में एनजीओ, निर्वाचित स्थानीय निकाय जैसे पंचायत शामिल हैं; संस्थान, अकादमिक संगठन; ट्रस्ट, मिशन, स्व-सहायता समूह; सरकारी, अर्ध-सरकारी और स्वायत्त संगठन; स्कोप; महिला मंडल, समितियां जैसे; सिविल कार्यों के लिए अनुबंधित एजेंसियां; और व्यावसायिक परामर्श संगठन।*

ख) किसी भी परियोजना की शुरुआत से पहले आधारभूत सर्वेक्षण अनिवार्य हैं। (पैरा 7.1)

ग) सीएसआर परियोजनाओं का मूल्यांकन एक स्वतंत्र बाहरी एजेंसी द्वारा भी किया जाना चाहिए। (पैरा 8.8)

उपर्युक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए भाविप्रा को आधारभूत सर्वेक्षण आयोजित करने, सीएसआर परियोजनाओं को लागू करने और संचालन करने के लिए और सीएसआर परियोजनाओं का मूल्यांकन करने के लिए गैर सरकारी संगठनों और विशेषज्ञ एजेंसियों को शामिल करने की आवश्यकता होगी। इस दिशानिर्देश का उद्देश्य भाविप्रा की सीएसआर परियोजनाओं के लिए उचित विश्वसनीय एनजीओ / बाहरी भागीदारों के चयन में सहायता करना है।

2. प्रचालनात्मक दिशानिर्देश का लक्ष्य :

परिचालन दिशानिर्देशों का उद्देश्य उपयुक्त गैर सरकारी संगठनों / विशेष एजेंसियों की पहचान, मूल्यांकन और चयन के लिए व्यवस्थित और लागू प्रक्रिया लाने के लिए है। विशिष्ट उद्देश्य हैं:

- अनुप्रयोगों के लिए कॉल करने में शामिल प्रक्रिया को चित्रित करना, तकनीकी विशेषज्ञता और अनुबंध की साझेदार पहचान और मूल्यांकन।
- प्रत्येक चरण में चरणों की व्याख्या करें और प्रक्रिया की रूपरेखा तैयार करें।
- भाविप्रा और फ़िल्ड इकाइयों को विभिन्न संदर्भों के लिए प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए विशिष्ट संदर्भों को अनुकूलित करके सक्षम करें।

3. एक उचित एनजीओ साझेदार की पहचान के लिए मूल सिद्धांत :

- एक उचित एन जी ओ साझेदार के चयन में शामिल है :
 - i. एनजीओ क्षेत्र के बारे में जानकारी इकट्ठा करना;
 - ii. प्रासंगिक चयन मानदंड स्थापित करना; तथा
 - iii. उपयुक्त चयन प्रक्रिया का चयन करना
- स्पष्ट परियोजना मानदंडों को विशिष्ट परियोजना आवश्यकताओं के आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए।
- संगठनात्मक क्षमता का आकलन एनजीओ के सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड के अनुसार किया जाना चाहिए, न कि इसके लक्ष्य के अनुसार।
- चयन प्रक्रिया में अधिकतम पारदर्शिता सुनिश्चित की जानी चाहिए।

भाविप्रा सी एस आर नीति के पैरा 9.5 के अनुसार, जब एक बार परियोजना का डिजायन विकसित हो जाएगा, भाविप्रा परियोजना को लागू करने के लिए एनजीओ से प्रस्तावों के लिए एक कॉल जारी करेगा। निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार प्रस्तावों को आमंत्रित किया जाएगा अर्थात् रुचि की अभिव्यक्ति के आधार पर। एक तीन चरण पारदर्शी चयन प्रक्रिया होगी। सीएसआर समिति द्वारा अनुरोधित प्रस्तावों के साथ अनचाहे प्रस्तावों पर भी विचार किया जाएगा।

4. चयन प्रक्रिया

4.1 चयन प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:

चरण	कार्य	समय सीमा	उत्तरदायित्व
चरण 1	क) संदर्भ की शर्तों (टीओआर) की तैयारी ख) अनुमानित लागत एवं बजट की तैयारी ग) भाविप्रा वेबसाइट, तीस व अन्य संबन्धित प्लेटफार्म से के माध्यम से रुचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित करना	सप्ताह 1	निगमित मुख्यालय में सी एस आर समिति के समन्वय से संबंधित सी एस आर परियोजना यूनिट/ प्रभारी परियोजना
चरण 2	क) एनजीओ की चयनित सूची तैयार करना तथा योग्य दस्तावेजों की जांच ख) तकनीकी प्रस्तावों का मूल्यांकन (डेस्क समीक्षा या चयनित एजेंसियों को आमंत्रित कर उनके प्रस्तुतीकरण के माध्यम से) ग) वित्तीय प्रस्तावों का मूल्यांकन घ) गुणवत्ता और लागत का अंतिम मूल्यांकन	सप्ताह 2	क) एनजीओ का चयन: स्खेत्रीय स्तर पर सी एस आर समिति ख) तकनीकी मूल्यांकन: निम्नलिखित से गठित एक सात सदस्यीय आकलन समिति द्वारा: i. निगमित मुख्यालय में सीएसआर समिति के अध्यक्ष व अन्य तीन सदस्य ii. क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय से नामित दो म प्र / उ म प्र स्तर के अधिकारी

			<p>iii. कार्य के विधिष्ट स्खेटर से एक अन्य बाहरी सदस्य (अधिमानत: सरकारी एजेंसी से)</p> <p>ग) वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन: अन्य समिति द्वारा मूल्यांकित किया जाए (एक सदस्य वित्त से होना चाहिए)</p> <p>घ) वित्तीय मूल्यांकन: सीएसआर समिति द्वारा गुणवत्ता व लागत की तुलना</p>
चरण 3	नेगोसिएशन (यदि आवश्यक हो) और अनुबंध प्रदान करना	सप्ताह 3	क्षेत्रीय कार्यपालक निदेशक / संबन्धित परियोजना यूनिट

4.2 परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए फार्मेट

प्रस्ताव जमा करने के लिए प्रारूप भाविप्रा सीएसआर नीति के अनुलग्नक 1 (पृष्ठ 13) के तहत निर्धारित किया गया है। यह अनुबंध 1 के रूप में यहां संलग्न है।

4.3 प्रस्ताव प्राप्त होना

प्रक्रिया की प्रमाणिकता की रक्षा के लिए, तकनीकी और वित्तीय प्रस्तावों को अलग मुहरबंद लिफाफे में जमा करने की आवश्यकता है। प्रस्तावों को जमा करने के समापन समय के बाद प्रासंगिक विभागों से लिए गए अधिकारियों की एक समिति द्वारा तकनीकी लिफाफे तुरंत खोले जाएंगे।

वित्तीय प्रस्तावों को बंद ही रहने दिया जाएगा और तकनीकी मूल्यांकन समिति तक पहुंच नहीं होगी।

प्रस्ताव जमा करने के समापन समय के बाद प्राप्त कोई प्रस्ताव खोला नहीं जाएगा या खुला नहीं लौटाया जाएगा ।

4.4 गुणवत्ता एवं लागत आधारित चयन (क्यूसीबीएस)

क्यूसीबीएस चयनित-सूचीबद्ध फर्मों के बीच एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया का उपयोग करता है जो सफल फर्म के चयन में प्रस्ताव की गुणवत्ता और सेवा की लागत को ध्यान में रखता है। चयन के कारक के रूप में लागत का उपयोग विवेकपूर्ण रूप से किया जाएगा। गुणवत्ता और लागत को दिया जाने वाला सापेक्ष वजन असाइनमेंट की प्रकृति के आधार पर प्रत्येक मामले के लिए निर्धारित किया जाएगा।

4.5 प्रस्तावों का मूल्यांकन एवं तुलना

प्रस्तावों का मूल्यांकन दो चरणों में किया जाएगा: पहले गुणवत्ता और फिर लागत। तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकनकर्ताओं को तकनीकी मूल्यांकन होने तक वित्तीय प्रस्तावों तक पहुंच नहीं होगी। इसके बाद वित्तीय प्रस्ताव खोले जाएंगे।

किसी भी वित्तीय प्रस्ताव को खोले जाने और तुलना करने से पहले तकनीकी प्रस्ताव के मूल्यांकन के साथ प्रस्तावों का मूल्यांकन करने के लिए दो चरणों की प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। वित्तीय प्रस्ताव केवल उन सबमिशन के लिए खोला जाएगा जो तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकन में 500 अंकों के प्राप्त करने योग्य स्कोर के 70% (अर्थात 350) के न्यूनतम तकनीकी स्कोर को पारित करेंगे। हालांकि, विशिष्ट मामलों में, (जहां तीन से कम चयनित एनजीओ हैं), निगमित मुख्यालय में सीएसआर कमेटी के पास तकनीकी योग्यता के न्यूनतम स्कोरिंग मानदंडों से छूट देने की शक्ति होगी।

तकनीकी प्रस्ताव का मूल्यांकन संदर्भ (टीओआर) की प्रतिक्रिया के आधार पर किया जाता है। मूल्यांकन प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, तकनीकी मूल्यांकन करने वाले पैनल, संभावित गैर सरकारी संगठनों को प्रस्तावों की कठोरता को सत्यापित करने के लिए अपने प्रस्तावों की प्रस्तुति देने के लिए कह सकते हैं।

दूसरे चरण में, तकनीकी मूल्यांकन में न्यूनतम 70% स्कोर प्राप्त करने वाली सभी बाहरी एजेंसियों के वित्तीय प्रस्ताव की तुलना की जाएगी।

4.6 तकनीकी मूल्यांकन मानदंड में निम्नलिखित शामिल हैं:

मूल्यांकन मानदंड		महत्व	प्राप्त करने योग्य अंक	आवेदक का नाम				
				ए	बी	सी	डी	ई
1	संगठनात्मक पृष्ठभूमि	सभी योग्यता मानदंडों को पूरा करने की आवश्यकता है						
2	तकनीकी जानकारी एवं क्षमता, विशेषज्ञता व अनुभव	70%	300					
3		70%	200					
कुल			500					

1. संगठनात्मक पृष्ठभूमि								
			आवेदक एनजीओ का नाम					
			ए	बी	सी	डी	ई	
मानदंड	हाँ	नहीं						
1	कानूनी स्थिति							
1.1	एनजीओ निम्नलिखित में से एक या अधिक से कानूनी रूप से पंजीकृत संगठन होना चाहिए:							
	i. 1860 के समाज पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत संगठन							
	ii. धर्मार्थ और धर्म अधिनियम 1920 के तहत पंजीकृत धर्मार्थ कंपनियां							
	iii. भारतीय ट्रस्ट अधिनियम 1882 के तहत पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट							
	iv. कंपनियों की धारा 25 के तहत लाइसेंस प्राप्त कंपनी 1956 अधिनियम							
	v. सहकारी समितियां							
1.2	एनजीओ / संगठन को भारत के हवाई अड्डे प्राधिकरण को अपने आवेदन की प्रस्तुति की तारीख के अनुसार न्यूनतम तीन वर्ष की अवधि के लिए पंजीकृत होना चाहिए।							
2	आधारिक संरचना							

2.1	बुनियादी बुनियादी ढांचे और कार्यालय उपकरणों की घोषणा एनजीओ का मूल आधारभूत ढांचा होना चाहिए (चाहे वह खुद या किराए पर लिया गया हो), मूल कार्यालय उपकरण इत्यादि							
3	वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड, संगठन की स्थिरता और संगठनात्मक प्रोफाइल / क्षमता का आकलन करने के लिए दस्तावेजों का सत्यापन।							
3.1	पंजीकरण की सत्यापित प्रतिलिपि							
3.2	पिछले दो वित्तीय वर्षों की वार्षिक लेखा रिपोर्ट							
3.3	परियोजना क्षेत्र में अनुभव प्रमाण पत्र और पिछले अनुभव के अन्य प्रासंगिक दस्तावेज							
3.4	निदेशक मंडल / ट्रस्टी कार्यकारी समिति के सदस्यों, उनके पते और संपर्क संख्या की सूची							
3.5	एनजीओ / संगठनों में किए गए योगदान, आयकर अधिनियम 1961 के तहत कर छूट के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए प्रमाण पत्र, यदि कोई हो, यानी आयकर अधिनियम या यू / एस 35 एसी आदि आयकर अधिनियम या मौजूदा / लागू वित्त के संबंधित खंड बिल।							
3.6	घोषणा है कि क्या निदेशक मंडल / ट्रस्टी / कार्यकारी समिति के सदस्यों में से कोई भी आधिकारिक अधिकारी एएआई से संबंधित है या एएआई के किसी भी बोर्ड सदस्य से संबंधित है।							
3.7	पैन / कर की प्रति, आरपीएफसी और ईएसआई अधिकारियों के साथ सेवा कर पंजीकरण।							
3.8	धोखाधड़ी के संबंध में लंबित विवादों या पूछताछ, निधि के दुरुपयोग, सीएपीएआरटी, सीएसडब्ल्यूबी, महिला एवं बाल विकास विभाग, सामाजिक न्याय सशक्तिकरण मंत्रालय जैसे सरकारी एजेंसी द्वारा सूचीबद्ध लाभार्थी काले का शोषण के संबंध में स्वयं घोषणा।							

2. परियोजना को पूरा करने के लिए प्रस्तावित योजना, पद्धति और दृष्टिकोण						
		आवेदक का नाम				
मानदंड	प्राप्त करने योग्य अंक	ए	बी	सी	डी	ई
1	तकनीकी ज्ञान और अनुभव (समर्थित प्रमाण के साथ)					
1.1	सीएसआर परियोजनाओं में काम के प्रस्तावित क्षेत्र में पूर्व अनुभव है पीएसयू, सरकारी योजनाएं और अन्य दाता एजेंसियां।	50				
1.2	संबंधित क्षेत्र में विशेष ज्ञान और स्थापित ट्रैक रिकॉर्ड है।	50				
1.3	अपने परिचालन क्षेत्र में, अन्य गैर सरकारी संगठनों और सरकारी निकायों आदि के साथ अच्छा ज्ञान, कामकाजी संबंध और नेटवर्किंग है।	50				
2	संगठनात्मक / टीम की क्षमता					
2.1	तकनीकी पेशेवरों की अनुभवी और सक्षम टीम है	50				
2.2	परियोजना प्रबंधन के लिए टीम का अनुभव है।	25				
2.3	परियोजना के दिन-प्रतिदिन के संचालन के लिए एक अनुभवी / प्रशिक्षित / कुशल कर्मचारी हैं	25				
3	प्रमाणीकरण / पैनेल					
3.1	भारत की राष्ट्रीय मान्यता परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त	10				
3.2	सहायता में अनुदान प्राप्त किया; सीएपीएआरटी, मंत्रालय, सरकारी विभागों से सरकारी योजना से सम्मानित किया गया	10				
3.3	टीआईएसएस सीएसआर हब, किसी भी अन्य पीएसयू, सरकार, मंत्रालय आदि द्वारा सूचीबद्ध	30				
कुल जोड़		300				

3. परियोजना को पूरा करने के लिए प्रस्तावित योजना, पद्धति और दृष्टिकोण						
		आवेदक का नाम				
मानदंड	प्राप्त करने योग्य अंक	ए	बी	सी	डी	ई

1	प्रस्ताव में अपनाए गए वैचारिक ढांचे कार्य के लिए उपयुक्त हैं।	30					
2	प्रस्ताव परियोजना से संबंधित प्रासंगिक माध्यमिक डेटा के आकलन / विश्लेषण पर आधारित है और इस डेटा का उचित रूप से प्रस्ताव में उपयोग किया जाता है।	50					
3	कार्य का दायरा अच्छी तरह से परिभाषित किया गया है और यह टीओआर के अनुरूप है।	30					
4	प्रस्तुति स्पष्ट है और गतिविधियों का अनुक्रम और नियोजन (प्रस्तावित समयरेखा समेत) तार्किक, यथार्थवादी और परियोजना को प्रभावी कार्यान्वयन का वादा करता है।	30					
5	प्रस्ताव अभिनव दृष्टिकोण सुझाता है जो परियोजना के विकास के लिए प्रासंगिक हैं और गुणवत्ता के उत्पादन को बढ़ावा देता है।	30					
6	प्रस्ताव परियोजना की स्थिरता के लिए उचित दृष्टिकोण सुझाता है।	30					
कुल जोड़		200					

4.7 वित्तीय प्रस्ताव का मूल्यांकन

तकनीकी प्रस्तावों के मूल्यांकन में 500 अंक (यानी 350) के प्राप्त स्कोर के 70% के न्यूनतम तकनीकी स्कोर को पारित करने के लिए वित्तीय प्रस्ताव को खोला जाएगा। शॉर्टलिस्ट एजेंसियों के वित्तीय प्रस्ताव को खोलने के लिए एक अलग समिति गठित की जानी चाहिए। समिति के एक सदस्य को वित्त विभाग से होना चाहिए। शॉर्टलिस्ट एजेंसियों से सबसे कम उद्धृत मूल्य अनुबंध के पुरस्कार के लिए माना जा सकता है।

भाविप्रा सीएसआर नीति के अंश

परिशिष्ट-1

परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु फार्मेट

सभी प्रस्ताव, जब तक कि अन्यथा वांछित नहीं है, निम्नलिखित प्रारूप के अनुसार जमा किया जाएगा। परियोजना प्रस्ताव यहां उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार होना चाहिए और निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ होना चाहिए:

- i. परियोजना का शीर्षक
 - ii. प्रस्ताव का कार्यकारी सारांश
 - iii. परियोजना / प्रस्ताव के उद्देश्य और लक्षित समूह (हों)
 - iv. परियोजना के निष्पादन के भौगोलिक क्षेत्र और लागू होने पर उस क्षेत्र का चयन करने का कारण।
 - v. बजट विवरण (विस्तृत लागत का ब्रेक-उप (शीर्षानुसार)। एनसीओ / संगठन द्वारा मांगी गई बजट / वित्तीय सहायता पिछले वर्ष के गैर सरकारी संगठन के कुल वित्तीय लेनदेन के दोगुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
 - vi. निष्पादन / कार्यान्वयन योजना (विशिष्ट समय सीमा के साथ)
 - vii. निगरानी योजना (विशिष्ट समय सीमा के साथ)
 - viii. मानव संसाधन शामिल (भुगतान कर्मचारी, स्वयंसेवक आदि)
 - ix. परियोजना के परिणाम / लाभ
- प्रस्ताव निम्नलिखित दस्तावेजों के साथ जमा किया जाएगा:
- x. पंजीकरण प्रमाणपत्र / ट्रस्ट डीड / एमओए / एमओयू की प्रति
 - xi. पिछले दो वर्षों की वार्षिक रिपोर्ट (लेखा परीक्षा)
 - xii. पैन कार्ड और टैन संख्या की प्रति।
 - xiii. निदेशक मंडल / गवर्नर / ट्रस्टी / कार्यकारी समिति के सदस्यों, उनके पते और संपर्क संख्या की सूची
 - xiv. प्रभाव के लिए प्रमाण पत्र कि गैर सरकारी संगठनों में किए गए योगदान आयकर अधिनियम 1961 (यदि कोई हो) के तहत आय छूट अधिनियम या मौजूदा / लागू वित्त बिल के संबंधित खंडों के तहत कर छूट के लिए अर्हता प्राप्त करते हैं।

- xv. घोषणा है कि क्या निदेशक मंडल / गवर्नर / ट्रस्टी / कार्यकारी समिति के सदस्यों में से कोई भी भारत के हवाईअड्डे प्राधिकरण से संबंधित कोई आधिकारिक अधिकारी है या भारत के हवाई अड्डे प्राधिकरण के किसी बोर्ड से संबंधित है।
- xvi. अनुरोध किए गए अन्य कोई दस्तावेज

वचनबंध : गारंटी उस उपक्रम को निष्पादित करेगी जो गारंटी होगी

- a) अनुदान की सभी शर्तों का पालन करें
- b) अनुदान को हटाएं और अन्य नक्षत्रों या संगठन (अनुमोदित लोगों के अलावा) से संबंधित कार्य की योजना के निष्पादन को सौंपें। हालांकि, यह स्थानीय संगठन को संलग्न कर सकता है या भारत के हवाई अड्डे प्राधिकरण की उचित मंजूरी के साथ कुछ विशेषज्ञ उन्मुख गतिविधि को आउटसोर्स कर सकता है और
- c) इन शर्तों का पालन करने या उपक्रम के उल्लंघन का पालन करने में किसी भी विफलता की स्थिति में, अनुदानदाता 12% प्रति वर्ष ब्याज के साथ भारत के हवाई अड्डे प्राधिकरण को अनुदान की पूरी / अप्रयुक्त राशि वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

सभी दस्तावेज (प्रत्येक पृष्ठ) को आवेदक और ट्रस्टी / संगठन के अध्यक्ष द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और मुद्रित किया जाना चाहिए। एनजीओ भारत के हवाई अड्डे प्राधिकरण द्वारा मांग पर किसी भी मूल दस्तावेज का उत्पादन करने में सक्षम होना चाहिए।

सी एस आर हब के साथ नामित एनजीओ

भाविप्रा विशेषज्ञता और परिचालन क्षेत्रों के प्रासंगिक क्षेत्र के आधार पर सीएसआर गतिविधियों के आधारभूत अध्ययन, कार्यान्वयन और मूल्यांकन के लिए उपनिवेशित गैर सरकारी संगठनों की निम्नलिखित सूची पर विचार कर सकता है:

क्र सं	व्यापक विषय	संचालन क्षेत्र	संगठन का नाम	हब कोड	संपर्क व्यक्ति	संपर्क विवरण			कब से नामित है
						फोन नं	ई मेल आई डी	पता	
1	अनुसंधान	महाराष्ट्र	पुकार	1/1/11/00 1	डॉ अनीता पाटिल देशमुख, कार्यपाल क निदेशक	022- 65748154/26474870	pukar@pukar.org.in	272, municipal tenements, shivaji nagar, BMC Colony, Kherwadi Road, Bandre East, Mumbai- 400051	अक्टूबर , 2011
2	शीसखा, व्यावसायिक प्रशिक्षण	पश्चिम बंगाल	राम नगर लेन फोर्स	1/1/11/00 5	नौशाद आलम मुख्य कार्यकारी	033- 24893618/2489396 9	Rnlforce1991@yahoo.co.in , www.rnlforce.com	G-15, Ramnagar Lane (dhankehthi) , Kolkata- 700024	अक्टूबर 2011
3	दिव्यांगों को मुख्यधारा में लाना	पश्चिम बंगाल	इंस्टीट्यूट ट फॉर द	1/1/11/00 4	डॉ एम ए हसन सहानी	033-24032550, (9883305988/ 9836211718)	ifthab@email.com / ihbpore@email.com . www.ihbp.in	44, Chandilala Branch	अक्टूबर 2011

			हैंडीकैप्ड एंड बैकवर्ड पीपल		फ़ौनदार निदेशक			Road, Behala, Kolkata, West Bengal- 700053	
4	शिक्षा, स्वास्थ्य	महाराष्ट्र	मैसको	1/1/11/00 8	डॉ एम ए खटखटरे कार्यपाल क सचिव	022-244466218/ 26405012	mescotrust@yahoo.co.in/ mestotrust@mescotrust.org	110, Natalwala building, V S Marg, Mahim, Mumbai- 400016	अक्टूबर 2011
5	शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकर ण	पश्चिम बंगाल	सू समानया	1/1/11/01 2	गोपाल दत्ता सचिव	033-65332350 F-033-22488053, M-9007857034, 9331637417, 9339545188	Su.samannaya@gmail.com	--	अक्टूबर 2011
6	अनौपचारिक क्षेत्र महिला श्रमिकों को सशक्त बनाना	बिहार, दिल्ली, राजस्थान , उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश	सेवा भारत	1/1/11/01 4	डॉ संजय कुमार निदेशक	011-25841369	mail@sewabharat.org	7/5, First Floor, South Patel Nagar, New Delhi- 110008	अक्टूबर 2011

संदर्भ

प्रस्तावित चयन प्रक्रिया निम्नलिखित स्रोतों के संदर्भ में तैयार की गई है:

1. परिचालन दिशानिर्देश गैर-सरकारी संगठन (पीसी और पीएनडीटी अधिनियम, 1 99 4 के तहत प्रस्ताव); स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, 2011 मई: चयन प्रक्रिया में तकनीकी मानकों पर संगठनात्मक प्रोफाइल और परियोजना विवरण पर 80% महत्व और प्रस्तावित बजट और समयरेखा पर 20% शामिल है।
2. एनजीओ सीबीओ परिचालन दिशानिर्देश, भाग 1, अप्रैल 2007, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन: एनजीओ प्रोपसल के चयन में तकनीकी मानकों पर 75% महत्व होता है।
3. जीएसएम (ग्राम श्री मेला) का आयोजन करने वाले वीओए के सीएपीएआरटी चयन मानदंड, जो संगठनात्मक क्षमता, कानूनी स्थिति, साबित ट्रैक रिकॉर्ड, प्रासंगिक अनुभव, ध्वनि वित्तीय ट्रैक रिकॉर्ड, समान परियोजनाओं को संभालने के लिए संगठनात्मक क्षमता, सौहार्दपूर्ण और प्रभावी कामकाजी संबंधों पर केंद्रित है। स्थानीय सरकार, राज्य / जिला के लाइन विभाग और स्थानीय लोगों और समूहों के साथ अच्छी प्रतिष्ठा है, राज्य / संघ शासित प्रदेश में गैर सरकारी संगठन की भौतिक उपस्थिति जहां योजना आयोजित की जा रही है। योजना के लिए बजट पूर्वनिर्धारित है।
4. राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, शिक्षा के क्षेत्र में गैर सरकारी संगठनों को समर्थन: आवेदन एचआरडी के तत्कालीन मंत्रालय द्वारा गठित केन्द्रीय अनुदान सहायता समिति द्वारा दिखाए जाते हैं, अभिनव परियोजनाओं पर आधार और अखिल भारतीय स्तर के गैर सरकारी संगठनों की परियोजना। योग्य संस्थानों को कार्यक्रम लागतों के साथ-साथ प्रशासनिक लागतों के लिए 100% वित्तीय सहायता दी जाती है।

10 वीं पंचवर्षीय योजना के लिए स्वैच्छिक क्षेत्र, नियोजन आयोग पर संचालन समिति की रिपोर्ट में कहा गया है: यह महसूस किया गया है कि वीओ को सरलीकृत और उपयोगकर्ता के अनुकूल अनुदान प्रदान करने के लिए प्रक्रियाएं करने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता है।